15.03.2024

पत्रावली पैश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण सूचित होने के उपरान्त भी सुनवाई पर गैरहाजिर रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थनापत्र को अन्तिम रूप से निपटारे के उद्देश्य से प्रकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से न्यायालय यह आवश्यक समझता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण जिस संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज खाते/खसरान की पत्थरगढी कराना चाहता है, उस खसरे/खाता के मालिकाना हक रखने वाले प्रत्येक सहखातेदार की ओर से यह प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। लेकिन प्रार्थी इस वादग्रस्त खाते/खसरे का केवल सहखातेदार है, शेष रहे अन्य सहखातेदारों का प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण के रूप में संयोजित नही किया है। संयुक्त स्वामित्व वाले खाते/खसरे की पत्थरगढी बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए जाने का अधिकार खाते/खसरे में निहित प्रत्येक सहखातेदार को प्राप्त होता है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण न्यायिक भूल कारित कर, प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र दोषयुक्त प्रस्तुत किया है। जो कतई न्यायालय में चलने योग्न नही है।

उपरोक्त विवेचन/विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को पोषणीय नही मानते हुए खारिज किए जाने की आज्ञा न्यायालय प्रदत्त करता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।